

① — III - 570/2010
20/103



वसीयतनामा

(वार्ड-मैथिली शरण गुप्ता)

मैं अजय सिंह यादव, आयु लगभग-70 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय श्री राम दयाल सिंह यादव, वर्तमान निवासी सी-1317, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उ०प्र०। स्थायी निवासी- 111/35, अशोक नगर, कानपुर, उ०प्र०। शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हूँ एवं सम्पूर्ण होशो हवास में बिना किसी अनुचित दबाव के आज अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्तियों की वसीयत अपने वारिसान के पक्ष में कर रहा हूँ जिससे मेरी मृत्युपरान्त मेरे विधिक वारिसानों में कोई विवाद उत्पन्न न हो और सरकारी अभिलेखों में प्रविष्टि करने में भी सुविधा रहे। मेरा मतदाता परिचय पत्र सं०-यू.पी./20/100/0804310 है। यह मेरी पहली वसीयत है इसके पूर्व मेरे द्वारा कभी कोई पंजीकृत अथवा अपंजीकृत वसीयत नहीं की गई है। इस वसीयत पर चस्पा फोटोग्राफ व हस्ताक्षर मेरे हैं मैं इनको सत्यापित करता हूँ। मेरे विधिक उत्तराधिकारियों में मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव, दो पुत्र कमशः श्री मिलन यादव एवं श्री दीपक यादव, एक पुत्री श्रीमती मोहिनी यादव हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई वारिस नहीं हैं। वसीयत करने के पूर्व मैंने अपनी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव एवं दोनों पुत्रों व पुत्री से विचार विमर्श कर सहमति प्राप्त कर ली है और उन्हें इस वसीयत में की गयी व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास इस समय अपनी स्वयं की आय से खरीदा गया एक भूखण्ड (भूखण्ड सं०-21) स्थित नारायण नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ है। जिसको आगे सम्पत्ति-ए से वर्णित किया जायेगा, स्वयं की आय से खरीदा गया एक आवासीय भवन संख्या सी-1317, इन्दिरा नगर, लखनऊ है। जिसे सम्पत्ति-बी से वर्णित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 111/35, अशोक नगर, कानपुर स्थित पैतृक मकान जिसमें मेरे अन्य भाई बहनों के अंश के अतिरिक्त मेरा 1/6 अंश है जिसे सम्पत्ति सी से वर्णित किया जायेगा तथा जनपद फर्रुखाबाद तहसील फर्रुखाबाद ग्राम-रामपुर मांझेगांव स्थित पैतृक सहखातेदारी की भूमिधारी को सम्पत्ति डी से वर्णित किया जायेगा। जनपद कन्नौज तहसील छिबरामऊ ग्राम अमरौली स्थित सहखातेदारी की पैतृक भूमियां जिसे सम्पत्ति ई से वर्णित किया जायेगा जनपद-रमाबाई नगर(कानपुर देहात) तहसील व परगना- रसूलाबाद ग्राम-अजनपुर इन्दौती स्थित पैतृक सहभूमिधारी आराजियां जिन्हें सम्पत्ति एफ से वर्णित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मेरा बैंक का निजी बचत खाता की धनराशि पेंशन, जीवन बीमा की पॉलसी, बैंक में सावधि जमा एवं डाकखाने की सभी प्रतिभूतियां एवं प्रमाण पत्र व इनकी राशि है इस चल सम्पत्ति को सम्पत्ति जी से वर्णित किया जा रहा है तथा उपरोक्त के अलावा यदि कोई और चल अचल सम्पत्ति बचती है जिसका विवरण वसीयत में नहीं है अथवा वसीयत करने के उपरान्त मेरे द्वारा अर्जित की जाती है को सम्पत्ति एच से वर्णित किया जा रहा है। विस्तार से वसीयत बिन्दुवार निम्नवत् की जा रही है:-

1- यह कि सम्पत्ति ए के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि मैंने अपनी स्वयं की अर्जित आय से दिनांक 10 फरवरी 1976 को जरिये पंजीकृत बैनामा एक भूखण्ड सं०-21 रकबा 5040 वर्गफुट जिसका

Ajay Singh

contd...

(प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रक्खा जाने वाला)

क्रम संख्या 28

लेख पत्र या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक..... 1/03

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम.....

लेख्य का प्रकार.....

प्रतिफल की धनराशि.....

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क.....

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क.....

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क..... 100/-

4. मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क.....

5. कमीशन शुल्क.....

6. विविध.....

7. यांत्रिक पत्र.....

1 से 6 तक का योग..... 191/1/10

शुल्क वसूल करने का दिनांक.....

तैयार किया जायेगा, जब लेख्य प्रतिलिपि या तलाशनामा पत्र

तैयार करने के लिए तैयार किया.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर.....



विवरण व चौहद्दी आगे दी जायेगी, को श्री ओम प्रकाश विज, सचिव नारायण नगर सहकारी गृहनिर्माण समिति लखनऊ से एक रूपया पचास पैसा प्रति वर्गफुट की दर से मुबलिंग 7560.00 रूपये में खरीदा था और तब से उस पर तन्हा काबिज दखील हूँ। इसके बैनामे में सम्पूर्ण विवरण अंकित है। बैनामा रजिस्टर नं०-1, जिल्द सं०-2238 के पृष्ठ 1 से 7 तक नं०-317 पर दिनांक 10.2.1976 को पंजीकृत किया गया है। यह भूखण्ड फी होल्ड है।

भूखण्ड का विवरण व चौहद्दी

भूखण्ड सं०-21 स्थित नारायण नगर, फैजाबाद रोड लखनऊ निकट पोस्ट ऑफिस नारायण नगर लखनऊ, क्षेत्रफल 5,040 वर्गफुट। पूर्वी व पश्चिमी भुजा 80 फुट प्रत्येक उत्तरी व दक्षिणी भुजा 63 फुट प्रत्येक।

चौहद्दी:-

पूरब : शर्माजी का मकान

पश्चिम : सड़क पक्की 30 फुट नारायण नगर डाकखाने के सामने वाली

उत्तर : पाण्डेय जी का तिमंजिला मकान

दक्षिण : सड़क पक्की बादहू तिकोना पार्क रविन्द्र पल्ली

2- यह कि उपरोक्त वर्णित भूखण्ड जो 63 फुट गुणा 80 फुट का है को अपने दोनों पुत्रों श्री मिलन यादव एवं श्री दीपक यादव के पक्ष में बराबर-बराबर अंश की वसीयत करता हूँ। भूखण्ड का 63 फुट गुणा 80 फुट का वह भाग जो कि उत्तर ओर स्थित है और पाण्डेय जी के मकान तिमंजिला के दक्षिण लगा है जिसकी चौहद्दी में उत्तर पाण्डेय जी का तिमंजिला मकान पूरब में शर्मा जी का मकान पश्चिम सड़क 30 फुट एवं दक्षिण श्री दीपक यादव वाला भूखण्ड है, को अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री मिलन यादव के पक्ष में दिये जाने की वसीयत करता हूँ। तथा उपरोक्त भूखण्ड का बचा हुआ दक्षिणी भाग भूखण्ड जो 63 फुट गुणा 40 फुट का है की चौहद्दी-उत्तर श्री मिलन यादव वाला भूखण्ड पश्चिम सड़क पक्की 30 फुट, दक्षिण पक्की सड़क बादहू तिकोना पार्क रविन्द्र पल्ली, पूरब- शर्मा जी का मकान, को अपने छोटे पुत्र श्री दीपक यादव के पक्ष में वसीयत करता हूँ। अपनी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव की सहमति से उन्हें व अपनी पुत्री श्रीमती मोहिनी यादव पत्नी श्री नरेन्द्र यादव को अपने भूखण्ड सं०-21 स्थित नारायण नगर, फैजाबाद रोड लखनऊ वाली सम्पत्ति से वंचित करता हूँ क्यों कि मैंने अपनी पुत्री को उसके विवाह के समय पर्याप्त धन सम्पत्ति व आभूषण दे दिया था और वह अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन गुजार रही है। मेरे दोनों पुत्र अपनी माता का पूर्ण ख्याल रखते हैं अतः उनके लिये भी कोई चिन्ता नहीं है। मेरे बाद मेरे दोनों पुत्रों को अधिकार होगा कि वे मेरी इच्छा के अनुसार सहकारी कागजात में अपनी प्रविष्टियां करा लें और अपनी-अपनी इच्छानुसार सम्पत्ति का प्रबन्ध करें।

3- यह कि सम्पत्ति बी के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि मैंने अपनी स्वयं की अर्जित आय से वर्ष 1981 में एक एम.आई.जी. आवासीय भवन संख्या(एम.ए.74मॉडल) सी-1317, इन्दिरा नगर, लखनऊ,

contd...




को उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद लखनऊ से रूपया 81,000.00 में खरीद कर काबिज दखील हूँ व सपरिवार रहता हूँ भवन का पंजीकृत विक्रय विलेख एवं पंजीकृत फी होल्ड पट्टा विलेख मेरे पक्ष में है तथा आवास विकास परिषद से नक्शा पास करवाने के बाद मकान में प्रथम व द्वितीय तल पर भवन निर्माण कराया गया है भवन की चौहद्दी इस प्रकार है— पूरब मकान नं० सी-1319, पश्चिम मकान नं० सी-1315, उत्तर मकान नं० सी-1295, दक्षिण सरकारी सड़क व पार्क। भवन संख्या सी-1317 इन्दिरा नगर लखनऊ की वसीयत इस प्रकार की जा रही है कि - मकान नं० सी-1317 को दो हिस्सों में बांटा जाता है: सी-1317 (ए) एवं सी-1317 (बी)। भवन संख्या सी-1317 (ए) भूतल पर बना मकान होगा तथा भवन संख्या सी-1317 (बी)—प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर बना मकान होगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय तल पर बना स्टोर व एक कमरा व बाथरूम सी-1317 (बी) का ही भाग होगा। सम्पूर्ण भवन सी-1317 (ए व बी) की खुली छत, जीना गैराज व गलियारा सामने व बगल में तथा बाउण्ड्रीवाल एवं सामने का सेहन सामूहिक होगा जिसपर वसीयत प्राप्तकर्ताओं को मात्र उपयोग का अधिकार होगा सामूहिक भाग पर बिना आपसी सहमति के किसी किस्म का निर्माण, विक्रय, अन्तरण नहीं किया जायेगा और न ही आपसी सहमति के बिना उसे किराये पर दिया जायेगा। भवन के दोनों हिस्सों का अलग-अलग जल संयोजन, विद्युत संयोजन एवं गृहकर का म्यूटेशन कराया जायेगा जिससे भविष्य में विवाद न रहे। भवन सं० सी-1317 इन्दिरा नगर की सम्पत्ति में से अपनी पुत्री श्रीमती मोहिनी यादव पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार को वंचित करता हूँ क्योंकि उसके विवाह के समय व उपरान्त अलग से उपहार देने लेने करके उसे अन्य पुत्रों के समान सम्पत्ति दे चुका हूँ जहां तक मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव का प्रश्न है तो मैं अपनी पत्नी को इस मकान में आजीवन हित सृजित करता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मकान नं० सी-1317 सम्पूर्ण भवन की उपयोग उपभोगकर्ता मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव होंगी किन्तु उन्हें मेरे मकान सी-1317 इन्दिरा नगर लखनऊ को अथवा इसके किसी भाग को बिना दोनों पुत्रों की लिखित सहमति के बेचने या अन्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। गृहकर के उद्देश्य से उनके पक्ष में म्यूटेशन कराया जा सकता है। मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी की मृत्यु के उपरान्त उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार भवन सं० सी-1317 (ए) श्री मिलन यादव एवं मकान सं० सी-1317 (बी) श्री दीपक यादव मालिकान हो जायेंगे और वसीयत की शर्तों के मुताबिक पूर्ण स्वामी की हैसियत प्राप्त करेंगे और मकान के अपने-अपने हिस्से के पूर्ण स्वामी बन जायेंगे।

4- यह कि सम्पत्ति सी के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि यह कानुपर अशोक नगर में स्थित 111/35 अशोक नगर चार मंजिला मेरा पैत्रिक मकान है जिसे मेरे पिता स्वर्गीय राम दयाल सिंह यादव द्वारा अपनी निजी अर्जित आय से खरीदकर बनवाया गया है। इस मकान में मेरे भाई बहनों सहित मेरा भी समान अंश है। इस मकान में मेरा 1/6 अंश है। मेरे उपरान्त इस पैत्रिक मकान में मेरा 1/6 अंश मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव, पुत्री श्रीमती मोहिनी यादव, पुत्र श्री मिलन यादव एवं श्री दीपक यादव चारों वारिसानों को बराबर-बराबर अंश मिलेगा।

Ajinder Singh

contd...



5- यह कि सम्पत्ति डी के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जनपद फर्रुखाबाद स्थित कृषि आराजियात जिनका विवरण अधोलिखित है मेरी पैत्रक सम्पत्ति है जिसमें में अन्य सहखातेदारों के साथ सहसंकमणीय भूमिधार काबिज दाखिल हूँ। मेरी मृत्यु उपरान्त इन आराजियों के मेरे अंश पर मेरे दोनों पुत्र श्री मिलन यादव व श्री दीपक यादव बराबर-बराबर हिस्से के सहसंकमणीय भूमिधार होंगे। मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव व पुत्री श्रीमती मोहिनी यादव को में इस आराजियों से वंचित करता हूँ।

विवरण आराजियां

(ग्राम-रामपुरमांझगांव, परगना-भोजपुर, तहसील-फर्रुखाबाद, जिला-फर्रुखाबाद, उ०प्र०)

खाता सं०	गाटा सं०	रकबा
00249	2099	0.0810 हे०
	2044क	0.0930 हे०
00398	2244ग	0.2710 हे०

6- यह कि सम्पत्ति ई के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जनपद कन्नौज स्थित कृषि आराजियात जिनका विवरण अधोलिखित है मेरी पैत्रक सम्पत्ति है जिसमें में अन्य सहखातेदारों के साथ सहसंकमणीय भूमिधार काबिज दाखिल हूँ। मेरी मृत्यु उपरान्त इन आराजियों के मेरे अंश पर मेरे दोनों पुत्र श्री मिलन यादव व श्री दीपक यादव बराबर-बराबर हिस्से के सहसंकमणीय भूमिधार होंगे। मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव व पुत्री श्रीमती मोहिनी यादव को में इस आराजियों से वंचित करता हूँ।

विवरण आराजियां


(ग्राम-अमरौली, तहसील-छिबरामऊ, जनपद- कन्नौज, जिला-कन्नौज, उ०प्र०)

खाता सं०	गाटा सं०	रकबा
00249	2099	0.0810 हे०

7- यह कि सम्पत्ति एफ के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जनपद रमाबाई नगर (कानुपर देहात) तहसील रंसूलाबाद में स्थित कृषि आराजियात है जिनका विवरण अधोलिखित है मेरी पैत्रक सम्पत्ति है जिसमें में अन्य सहखातेदारों के साथ सहसंकमणीय भूमिधार काबिज दाखिल हूँ। मेरी मृत्यु उपरान्त इन आराजियों के मेरे अंश पर मेरे दोनों पुत्र श्री मिलन यादव व श्री दीपक यादव बराबर-बराबर हिस्से के सहसंकमणीय भूमिधार होंगे। मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव व पुत्री श्रीमती मोहिनी यादव को में इस आराजियों से वंचित करता हूँ।

contd...

Ajan Singh



विवरणआराजियां

(ग्राम-अजनपुरइंदौती, परगना-रसूलाबाद-तहसील-रसूलाबाद, जनपद
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)उ०प्र०।)

खाता सं०	गाटा सं०	रकबा
00019	768	0.3810
	965	0.5740
	966	0.8910
	970	0.0720
	988	0.4000
	996	0.1900
	997मि.	0.3590
	259	0.4100
	151	0.0410

कुल गाटे 9		रकबा 3.3180 हे०


00015	949मि.	0.0310
	987	0.3480
	329	0.1130
	771मि.	1.3310
	798	0.4510
	551मि.	0.0410
	881मि.	0.1540
	327	0.0100
	336मि.	0.3100
	874	0.3180
	875	0.0510
	797	0.4810
	979	0.1230
	983	0.4300

कुल 14गाटे		रकबा 3.9130हे०

8- यह कि सम्पत्ति जी के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है यह मेरा इण्डियन ओबरसीज बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक में स्थित बचन खातों की राशि, जीवन बीमा निगम की पॉलसी, पेंशन धनराशि विभिन्न बैंकों एवं डाकघर में जमा धनराशि, सावधि जमा एवं सभी प्रतिभूतियां एवं धन अदायगी प्रमाणपत्र हैं मेरे उपरान्त सम्पत्ति जी वर्ग

contd...

Ajan Singh




की सभी सम्पत्तियों, प्रतिभूतियों पर मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव का अधिकार होगा बादहू उनके मेरे दोनों पुत्र व पुत्री का बराबर अधिकार होगा।

१- यह कि सम्पत्ति एच के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वसीयत में वर्णित उपरोक्त सम्पत्तियों के अतिरिक्त मेरे जीवन काल में यदि कोई और चल-अचल सम्पत्ति अर्जित की जाती है तो वह सम्पत्ति मेरे बाद मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी के नाम जायेगी। और बाद उनके मेरी तीनों सन्तानों में बराबर-बराबर बांटी जायेगी। यहां मेरे वाहन टी.वी.एस.स्कूटी के सम्बन्ध में भी व्यवस्था कर रहा हूँ कि मैंने वाहन सं०-यू.पी.-32, सी.पी.-9867 टी.वी.एस.स्कूटी अपनी निजी अर्जित आय से खरीदा है। मेरे बाद इस वाहन की स्वामिनी मेरी पत्नी श्रीमती ओम कुमारी यादव होगी।

यह वसीयत मेरे कहने पर मेरे निर्देशानुसार मेरे पुत्र श्री दीपक यादव जो वर्तमान में सिविल जज(जू०डि०)पूर्वी, इलाहाबाद के पद पर कार्यरत है द्वारा इस वसीयत को कम्प्यूटर पर टंकित कराकर तैयार कराया गया है वसीयत को मैंने अच्छी तरह से पढ़ वह समझ लिया है और इसपर अपना फोटोग्राफ चिपका कर हस्ताक्षर करके आज रजिस्टार कार्यालय तहसील परिसर लखनऊ में यह वसीयत पंजीकरण हेतु प्रस्तुत की जा रही है

दिनांक 19.11.2010

स्थान-लखनऊ



(अजय सिंह यादव)

पुत्र स्वर्गीय राम दयाल सिंह यादव
सी-1317 इन्दिरा नगर लखनऊ।

सत्यापन

मैं वसीयतकर्ता अजय सिंह यादव पुत्र स्वर्गीय श्री राम दयाल सिंह यादव, वर्तमान निवासी सी-1317, इन्दिरा नगर, लखनऊ अपने पूर्ण होशोहवास में तथा स्वस्थचित्त अवस्था में यह सत्यापित करता हूँ कि इस वसीयत में कुछ भी छिपाया नहीं गया है। वसीयत की धारा-1 लगायत 8 के तथ्यों से मैं पूर्णतया वाकिफ हूँ जो सही है और मैं उनका सत्यापन करता हूँ। यह मेरी अन्तिम वसीयत है जो मेरी मृत्यु के उपरान्त प्रभावी मानी जायेगी। मेरी जीवित रहते वसीयत में वर्णित उपरोक्त सभी चल-अचल सम्पत्तियों का मैं ही मालिक रहूँगा। मेरी मृत्यु के

contd...



वसीयतनामा

100.00 20 120.00 1,000
फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री अजय सिंह यादव
पुत्र श्री स्व.राम दयाल सिंह यादव

व्यवसाय सेवानिवृत्त

निवासी स्थायी सी-1317 इन्दिरानगर लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/11/2010 समय 1:13PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

M. Swastik

मनोज कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक तृतीय

लखनऊ

19/11/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
वसीयत कर्ता

श्री अजय सिंह यादव
पुत्र श्री स्व.राम दयाल सिंह यादव
पेशा सेवानिवृत्त
निवासी सी-1317 इन्दिरानगर लखनऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री दिनेश द्विवेदी एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

पेशा वकालत

निवासी

व श्री आनन्द सिंह बिष्ट एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

पेशा वकालत

निवासी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

M. Swastik

मनोज कुमार श्रीवास्तव
उप-निबन्धक तृतीय

लखनऊ

19/11/2010

बाद वसीयत में वर्णित निर्देशों के अनुसार मेरी चल-अचल सम्पत्ति मेरे विधिक वारिसान को प्राप्त होगी।

दिनांक 19.11.2010

Ajay Singh

स्थान-लखनऊ

(अजय सिंह यादव)

पुत्र स्वर्गीय राम दयाल सिंह यादव
सी-1317 इन्दिरा नगर लखनऊ।

गवाह-(1) नाम दिनेश सिंह हस्ताक्षर *DS* दिनांक 19/11/2010
सिद्धि नगर लखनऊ
पता 12/349 इन्दिरा नगर लखनऊ

(2) नाम साधु सिंह हस्ताक्षर *AS* दिनांक 19/11/2010
सिद्धि नगर
पता 628K-154 सुगम नगर लखनऊ

वसीयत कर्ता

Registration No.: 570

Year : 2,010

Book No. : 3

0101 अजय सिंह यादव

स्व.राम दयाल सिंह यादव

सी-1317 इन्दिरानगर लखनऊ

सेवानिवृत्त



रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

वसीयतकर्ता का नाम व पता:- अजय सिंह यादव पुत्र स्व० राम दयाल सिंह यादव
निवासी-सी-1317, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




Ajay Singh
वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता-
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 19/11/2010 को
बही सं. 3 जिल्द सं. 199
पृष्ठ सं. 237 से 252 पर क्रमांक 570
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



मनोज कुमार श्रीवास्तव

उप-निबन्धक तृतीय

लखनऊ

19/11/2010

